राजस्थान सरकार

नगर नियोजन विभाग

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।

क्रमांक : युडीआर/1120/एम.पी./कपासन/

दिनांकः– 25.04..2023

अधिसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत कपासन (जिला–चित्तौड़गढ़) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान–2043 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। कपासन मास्टर प्लान–2043 (प्रारूप) के नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैः–

राजस्व ग्रामों की सूची

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम	Name of Revenue Village
1.	कपासन	KAPASAN
2.	भोपालखेडा	BHOPALKHERA
3.	बुद्धाखेडा	BUDHAKHERA
4.	रण्डियारडी	RANDIYARDI
5.	सण्डियारडा	SANDIYARDA
6.	मुंगाना (भोपाल सागर तालाब से निकलने वाले नाले तक का पूर्वी भाग)	MUNGANA (Upto Eastern part of the drain coming out of Bhopal Sagar Talab)
7.	विनोदाखेड़ा	VINODAKHEDA
8.	ताराखेड़ी	TARAKHEDI
9.	दामाखेड़ा	DAMAKHEDA

कपासन मास्टर प्लान–2043 (प्रारूप) के संबंध में दिनांक 25.04.2023 से दिनांक 24.05.2023 तक की समयावधि में कोई भी व्यक्ति/संस्था/विभाग अपनी आपत्ति एवं सुझाव नगर पालिका, कपासन अथवा कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर अथवा कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत कर सकते है। मास्टर प्लान (प्रारूप) का उक्त समयावधि में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय नगर पालिका, कपासन में अवलोकन किया जा सकता है। इस प्रारूप से संबंधित पुस्तिका एवं मानचित्र कार्यालय नगर पालिका, कपासन से क्रय किये जा सकते है।

(अरविन्द सिंह कानावत)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
उदयपुर जोन, उदयपुर